



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

19 आषाढ़, 1945 (श०)

संख्या - 406 राँची, सोमवार,

10 जुलाई, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

14 जून, 2023

संख्या-5/आरोप-1-30/2023-21637 (HRMS)--श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-754/03) को विभागीय अधिसूचना सं०-6012, दिनांक 23.09.2021 द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान नहीं दिया गया है। इस संबंध में उपायुक्त, जामताड़ा के पत्रांक-154, दिनांक 26.05.2023 द्वारा भी प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार, झा०प्र०से० के द्वारा अब तक अधिसूचित पद पर योगदान नहीं किया गया है। श्री कुमार का उक्त कृत्य सरकारी आदेश की अवहेलना, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है ।

2. अतः श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।

3. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय- प्रमंडलीय आयुक्त का कार्यालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची निर्धारित किया जाता है तथा उक्त अवधि में श्री कुमार को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-10 के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

Sl. No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority	Effective Date
1	2	3	4
1	PRABHAT KUMAR (JHK/JAS/103)	श्री प्रभात कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 754/03) अधिसूचित भूमि सुधार उप समाहर्ता, जामताड़ा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है ।	14/06/2023

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
